विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। –हरिऔध

क्या राजद्रोह कानून औपनिवेशिता की मानसिकता का परिचायक है?

भारतीय दण्ड संहिता सन 1860 में अंग्रेजों के राज में बनाया गया था। धारा 124ए के द्वारा देशद्रोह (राजद्रोह) को अपराध माना गया और उसमें सजा की व्यवस्था की गई। धारा 124ए के तहत बोले या लिखित शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा अथवा पैदा करने का प्रयास करेगा, असन्तोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा उसे परिस्थितियों के अनुसार आजीवन कारावास या कम से कम तीन वर्ष तक की सजा दी जावेगा।

धारा 124ए की वैधानिकता को संविधान के अनुच्देद 14 व 21 के विरूद्ध होने के आधार पर चुनौती दी गई है। कई केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। केसों में सुनवाई की तारीख अगस्त 2023 में है। गत वर्ष मई माह में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह के कानून पर रोक लगाई थी। मामले में हित रखने वाले लोगों ने भी आपत्तियां उठाई हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी हित धारकों के साथ परामर्श करेगी। विधि आयोग ने 3 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की सजा की सिफारिश की है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आयोग ने धारा 124ए को कुछ संशोधन के साथ कायम (Retain) रखने की सिफारिश की है। सरकार का मानना है कि विधि आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। इस कानून के दुरूपयोग का आरोप सरकार पर लगाया गया, किन्तु सरकार का कथन है कि दुरूपयोग के आधार पर कानून को वापिस नहीं लिया जा सकता। कानून को औपनिवेशिक वाद का होने से रद्द करने के सवाल पर केन्द्र सरकार के कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को भेजे गये पत्र में विधि आयोग के अध्यक्ष ने लिया है कि यदि धारा 124ए आईपीसी को रद्द किया गया तो केन्द्र सरकार के विरूद्ध हिंसा भडकाने वाली गतिविधियां करनी होंगी, तथा सरकार को यूएपीए व रासुका के तहत केस किये जा सकते हैं जबकि धारा 124ए उन कानूनों से ज्यादा व्यापक है।

यहाँ पर लिखना भी उचित होगा कि शशि थरूर, राजीव सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा करवां पत्रिका के परेशनाथ व विनोद दुआ के विरूद्ध राजद्रोह के इस कानून का दुरूपयोग किया गया है।

गत वर्ष मई माह में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश द्रोह के कानून पर रोक लगाई थी। मामले में हित रखने वाले लोगों ने भी आपत्तियां उठाई हैं। सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी हित धारकों के साथ परामर्श करेगी। विधि आयोग ने 3 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष की सजा की सिफारिश की है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। आयोग ने धारा 124ए को कुछ संशोधन के साथ कायम (Retain) रखने की सिफारिश की है।

गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124ए के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई थी। विधि आयोग ने अपनी 279 पेज की रिपोर्ट में यह लिखा है कि सरकार को धारा 124ए आईपीसी में संशोधन करना चाहिये। मिनिमम सजा को 3 साल से 7 वर्ष की जानी चाहिये।

एआईसीसी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून की भर्त्सना की है। श्री सिंघवी ने जोर देते हुये कहा है कि सरकार/विधि आयोग का यह कथन कि वह इस पर विचार करेगी, सही प्रतीत नहीं होता। उनके विचार में विधि आयोग बीजेपी से मिलकर कानून को अधिक सख्त बनाना चहाता है।

विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उपरोक्त संदर्भ में कहा कि सरकार सभी से वार्ता कर अन्तिम निर्णय लेगी। विधि मंत्री ने यह भी कहा कि विधि आयोग की सिफारिश की धारा 124ए को कुछ संशोधन के साथ उसी रूप में रखा जावे। वह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। हाँ सरकार डपेनेम को रोकने के हेतु छवतउे बना सकती है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने गत वर्ष के आदेश में देशद्रोह के अपराध के कानून को जो 1860 में बनाया था उसकी कार्यवाही को रोक दिया था और माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिये कि धारा 124ए के अपराध के बाबत कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी साथ ही प्रोसिडिंग्स रोक दी जावेगा। केन्द्र ने वायदा किया कि वे उचित संशोधन लायेंगे। एफआईआर दर्ज न करने के उचित कारण लिखे जावेंगे। एक पेनल प्रारंभिक जांच करेगा।

1870 में बने इस कानून का स्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के विरूद्ध वीकली जनरल में यंग इण्डिया नाम से आर्टिकल लिखे थे। चूंकि लेख ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध लिखे थे, अतः मुकदमा चला था।

धारा 124ए में यह प्रक्रिया बताई है कि आरोपी को बिना उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किये गिरफ्तार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 11 मई 2022 के आदेश से यह निर्देशन दिया कि जब तक राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं होगा राज्य व केन्द्र सरकार राजद्रोह के अपराध के कानून के तहत नया कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। प्रत्यक्षतः केस में सफलता की आशा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसका उल्लेख ऊपर भी किया गया है।

sedition शब्द को देशद्रोह व राजद्रोह शब्दों द्वारा पुकारा गया है। दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं। फिर भी इन्हें अलग अर्थ में भी समझा जा सकता है। राजद्रोह का आशय विधि द्वारा स्थापित सरकार तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध असन्तोष की भावना फैलाना है। इसके विरूद्ध देशद्रोह राष्ट्र के प्रति असम्मान, राष्ट्र की एकता व अखण्डता के विरूद्ध होने से इसे देशद्रोह कहा गया है। कार्य तथा राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को पूर्णरूप से नकारा गया है।

लॉ पेनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देशद्रोह की धारा 124ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरूद्ध नहीं है। धारा 124ए को सख्त बनाना होगा, इसके संबंध में सभी हित रखने वालों के साथ विचार विमर्श करना होगा। विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि विधि आयोग की रिपोर्ट है कि देशद्रोह के अपराध को संशोधन की आवश्यकता है और सजा के प्रावधान को और सख्त करना होगा इस स्टेटमेन्ट पर अपनी प्रक्रिया देते हुये विधि मंत्री ने कहा कि विधि आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, हाँ यह सही है कि विचार विमर्श के लिये इस रिपोर्ट पर भी वार्ता होनी चाहिये। वार्ता के लिये यह अच्छा कदम है। वार्ता द्वारा ही जनहित में सही निर्णय हो सकता है। ैमकपजपवद के कानून की आवश्यकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और एकता बनाये रखने के लिय यह आवश्यक है। कमीशन की रिपोर्ट में सुझाव है कि एफआईआर राज्य अथवा केन्द्र सरकार की अनुमति (Sanction) प्राप्त करने पर पंजीकृत की जाना चाहिये। अनुमति देने के हेतु प्रारम्भिक जांच होनी चाहिये, जिसे इन्सपेक्टर के पद से कम पर नियुक्त अधिकारी द्वारा की जावे। जैसा ऊपर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124ए की वैधता पर विचार करते हुये एफआईआर पंजीकृत होने के लिये रोक लगाई है। गतवर्ष सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना कर रहे थे, कहा कि "The rigours of sedition 124A of IPC is not in tune with the current social milieu, and was intended for a time when the country was under the colonial regime."

सुप्रीम कोर्ट अगस्त के दूसरे सप्ताह में ैमकपजपवद की धारा 124ए आईपीसी की वैधता पर विचार करेगी। इस बाबत कई पक्षों की विचार धारा पर बहस सुनी जावेगी। लेखक का अपना व्यक्तिगत विचार है कि धारा 124ए असंवैधानिक है और इस प्रश्न पर बहस होनी चाहिये। एक नई धारा उसके स्थान पर जोडना चाहिए जो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुरूप हो, देश की एकता तथा अखण्डता को सुरक्षित रख सके तथा जनहित में हो।

इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि हमारा देश लोकतंत्र है जहाँ जनता का राज है और जनता के लिये है जहाँ औपनिवेशिता की दासता से मुक्ति हो।

सबको सन्मति दे भगवान् !

अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश,
राजस्थान हाई कोर्ट

क्या केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतंत्र पर अंकुश वाजिब है?

समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों या फिर सोशल मीडिया कहीं भी देख लीजिए दिल्ली के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच झड़पें अक्सर मसालेदार खबरों का हिस्सा होती हैं। प्रारंभिक थोड़ी बहुत नियंत्रित खींचतान के बाद अब तो बात एक तरह गाली गलौज तक पहुंच चुकी है। उप राज्यपाल किसी सामंत की तरह नजर आते हैं जो एक चुनी हुई सरकार को सहयोग देने की बजाय उसके दैनिक कार्यों तक में बाधा उत्पन्न करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी कई बार अपनी भाषा पर नियंत्रण खो देते हैं। इस गुत्थमगुत्थी में अब दोनों ही अपने-अपने उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने लगे हैं। उप राज्यपाल स्पष्ट रूप से केंद्र के एजेंट प्रतीत हो रहे हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य एक दो तिहाई बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराना नजर आ रहा है तो केजरीवाल अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही उनकी आम आदमी पार्टी को समाप्त कर देना चाहते हैं ताकि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर कोई तीसरा प्रतिद्वंद्वी न उभर पाए।

कुछ लोग दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का उदाहरण देते हैं कि उनके समय तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र के बीच ऐसा टकराव नहीं था और दीक्षित के 15 वर्षों के दौरान दिल्ली में निर्माण कार्य भी खूब हुए थे। इसमें दो बातें नहीं भूलनी चाहिए। एक तो शीला दीक्षित के समय दिल्ली में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़ी सोच के नेता थे। दूसरे, शीला दीक्षित देश की प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा करती थी जबकि अरविंद केजरीवाल का यह स्पष्ट लक्ष्य नजर आ रहा है। वैसे चाहे स्वीकार करें या नहीं करें परंतु राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना हर राजनीति से जुड़े व्यक्ति का होता है और होना भी चाहिए। इसमें आपत्ति की कोई बात ही नहीं है।

दिल्ली की स्थानीय सत्ता का मायाजाल बहुत पुराना है। 12 दिसंबर 1911 को राज्याभिषेक दरबार में दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी घोषित किया गया था। राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि मुख्य कमिश्नर द्वारा प्रशासित दिल्ली को उप राज्यपाल के साथ एक विधानसभा और मंत्रिमंडल भी मिला परंतु कानून बनाने के अधिकार, पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं मुख्य कमिश्नर के अधीन ही रहे। आजादी के बाद 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र बन कर सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ गया जिसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) बनाया गया। लेकिन ऐसे में दिल्ली के नेता लोग कोरे के कोरे रह गए तो उनको संतुष्ट करने के लिए आगे चलकर मेट्रोपोलिटन काउंसिल का गठन किया गया। इसमें मुख्य कार्यकारी पार्षद के नेतृत्व में चुने हुए और नामित पार्षद भी रखे गए परंतु इस काउंसिल को कोई वैधानिक अधिकार नहीं दिए गए। अब इस काउंसिल का एमसीडी और अन्य स्थानीय संस्थाओं से लगातार संघर्ष होने लगा। इस कलह को कम करने के लिए दिसंबर 1989 में दिल्ली विधानसभा का गठन किया गया जिसमें मंत्रिमंडल भी गठित किया जा सकता था। एमसीडी के अधिकार से बिजली, पानी और सीवरेज को निकाल कर उनके बोर्ड गठित किए गए, अग्नि शमन, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रमुख सड़कों को दिल्ली सरकार के अधीन किया गया, राजमार्गों और लुटियंस दिल्ली की सड़कें केंद्र के अधिकार में रही और कॉलोनियों की सड़कों पर एमसीडी का अधिकार हुआ। अभी हाल ही 2021 में एमसीडी का फिर विभाजन हुआ।

इन सब लगातार होते बदलावों के बावजूद दिल्ली पर मुख्य नियंत्रण राष्ट्रपति के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ही रहा क्योंकि पुलिस, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और नियम कानून निर्माण आदि सभी संसद और गृह मंत्रालय के अधीन ही रहे। इस तरह से समझा जा सकता है कि दिल्ली के लोगों के जीवन को कई दिशाओं में खींचा जा रहा है और वहां कोई भी प्रशासनिक कुशलता विकसित नहीं की जा सकती। जिस शहर में एक मुख्य सड़क और उससे निकलने वाली धमनी सड़कों के तीन तरह के रखरखाव वाले हों और भारत जैसे जिम्मेदारी निभानेवाले कर्मचारी हों तो जनता का जीवन कैसा हो सकता है यह आसानी से समझा जा सकता है। इन कई तरह के प्रशासनों का अपना अपना भ्रष्टाचार होता है और अपनी अपनी अकड़ परंतु इसी के साथ यह भी कि जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालना बहुत आसान हो जाता है। चूंकि देश में प्रजातंत्र है तो सब को जन धन रूपी मलाई खानी है खासकर वे नेता और सरकारी तंत्र जो जनहित का नाम लेते हुए कुर्सी का रसास्वादन करते रहते हैं।

यहां यह बात ध्यान में रखनेवाली है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का झांसा दिया था। झांसा इसलिए क्योंकि सारे के सारे सांसद विजयी होने के बावजूद बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी सरकार के उच्चतम न्यायालय में जीत के बावजूद एक रात्रिकालीन अध्यादेश द्वारा दिल्ली पर केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया। जब मुख्यमंत्री है, मंत्री और विधायक हैं तो फिर दिल्ली का आम आदमी अपने किसी प्रशासनिक कार्य के लिया क्या केंद्रीय गृहमंत्रालय या प्रधानमंत्री के पास जायेगा? आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया, जनता ने आप को विजयी बनाया और आप अपने ही वादे से मुकर गए!

दिल्ली के प्रशासन को सुचारू चलाना कोई अति जटिल कार्य नहीं है परंतु नेताओं का अहंकार, स्वार्थ और धन कमाने की उनकी लालसा ने पूरे एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) को भ्रष्टाचार का अड्डा बना डाला है। नेताओं, उप राज्यपाल और अधिकारियों में निम्नस्तरीय बातें होती रहती हैं और इस स्वार्थ से परिपूर्ण माहौल में सामान्य नागरिक लगातार हाशिए पर होता जाता है। राजधानी क्षेत्र के लोग भी इसी प्रजातंत्र का हिस्सा हैं इसलिए उनको भी अपना प्रभावशाली विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री पाने का अधिकार है। करोड़ों लोगों के अधिकारों पर दूरी से नियंत्रण उचित नहीं है इसलिए इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक संवाद होना चाहिए।

-डॉ. रामावतार शर्मा

बीकानेर सहित पांच जिलों में पारा 40 के पार

- **चूरू में सर्वाधिक तापमान 42.5 तक पहुंचा**
- **मौसम विभाग ने गुरुवार को बीकानेर जिले में आंधी और बारिश की संभावना जताई**

बीकानेर, (निसं)। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। बीते चौबीस घंटे में बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों में चालीस डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहा। वहीं अन्य जिलों में भी इससे दो-तीन डिग्री सेल्सियस ही कम रहा। यानी गर्मी अब लगातार बढ़ते हुए ग्राफ की तरफ है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को बीकानेर जिले में आंधी और बारिश की संभावना जताई है।

बुधवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.9 और न्यूनतम 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर के अलावा बाडमेर, जैसलमेर, फलोदी और चूरू में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। चूरू में सर्वाधिक 42.5 तक पहुंच गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में भी पारा लगातार बढ़ रहा है। वहीं रात में भी तापमान अब तीस डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने की कोशिश में है। बारिश के चलते पिछले दिनों ये बीस तक ही अटक गया था। मौसम विभाग ने कहा है कि बीकानेर और नागौर जिलों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटा की होगी। ऐसे में सामान्य व हल्के सामान को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए।

सरसंघचालक मोहन भागवत उदयपुर पहुंचे

उदयपुर, (कासं)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत अपने दो दिवसिय प्रवास पर गुरूवार को उदयपुर पहुंचे। जहां उदयपुर सिटी रेल्वे स्टेशन पर संघ के पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस दौरान स्टेशन पर सुरक्षा के माकुल प्रबंध किए गए। गुरूवार को सवेरे सात बजे जेसे ही मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर सिटी रेल्वे स्टेशन पर पहुंची तो कोच से उतरते ही भागवत के स्वागत हेतु संघ के पदाधिकारियों में होड लग गई। इस दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड के साथ ही स्थानीय पुलिस ने उनको सुरक्षा देते हुए उन्हें आगे बढाया। प्लेट फार्म दो पर उतरे भागवत लिफ्ट से उपर चढे और एक्सेक्लेटर से प्लेट फार्म नं. एक पर उतरे। स्टेशन पर कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेने का भी प्रयास किया। भागवत वहां से विद्यानिकेतन के लिए रवाना हुए।

उल्लेखनीय है कि संघ के उत्तर पश्चिम क्षैत्र के द्वितीय वर्ष विशेष में शामिल में होने आए भागवत दो दिन उदयपुर में ही रूकेंगे। विभाग संघ चालक हमेन्द्र श्रीमाली ने बताया कि वे ग्रीष्मावकाश में कार्यकर्ताओं के शारीरिक व बौद्धिक प्रशिक्षण के लिए तीन सप्ताह के संघ शिक्षा वर्गो का आयोजन होता है। इसमें प्रथम वर्ष के उपरान्त एक वर्ष से अधिक शाखाओं की देख रेख करने वाले चालीस वर्ष से अधिक उम्र के कार्यकर्ताओं का द्वितीय वर्ष विशेष क्षैत्र अनुसार होता है।

ग्राम पंचायत छाजा की नांगल में पेयजल संकट

- **जल जीवन मिशन के तहत लगाया गया बोर कनेक्शन के अभाव में बेकार पड़ा है**

पाटन, (निसं)। निकटवर्ती ग्राम पंचायत छाजा की नांगल में जल जीवन मिशन के तहत पानी का बोर लगाया गया था परंतु उस बोर का कनेक्शन नहीं होने से वह बोर साल भर से बेकार पड़ा हुआ है तथा लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

इस बारे में ग्राम के लोगों ने बताया कि 2 सितंबर 2022 को जल जीवन मिशन योजना के तहत ओडीएक्स मशीन से बोर करवाया था जिसकी एस्टीमेट वैल्यू 15 लाख 63 हजार आई थी। जलदाय विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु 16 नवम्बर 2022 में डिमांड नोटिस भी जमा करा दिया गया उसके बावजूद भी विद्युत विभाग उक्त बोर का कनेक्शन नहीं कर सकी, जिसके चलते ग्राम पंचायत में पेयजल संकट बढ़ रहा है। ग्रामीणों की बार-बार शिकायत के बाद विद्युत विभाग दो दिन पहले हरकत में आया और पुलिस की मौजूदगी में कनेक्शन करने पहुंचा परंतु विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं कर पाया। मात्र कनेक्शन के अभाव में गांव में पेयजल संकट बना हुआ है और लोगों को मजबूरन महंगे दामों में टैंकरों का पानी मंगवा कर अपनी पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन कुंभकरणी नींद सो रहा है और जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रही है। लगभग एक साल बीतने को है उसके बावजूद भी विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं कर बका जिसको लेकर लोगों में स्थानीय विधायक के खिलाफ सवालिया निशान पैदा कर रहा है।

एक साल से विधुत कनेक्शन के अभाव में खराब पड़ा बोर।

प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाये

भुसावर, (निसं)। उपखंड भुसावर के गांव सलेमपुर कला में पीडब्ल्यूडी के मुख्य सड़क मार्ग पर लोगों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर हटाया। ग्राम विकास अधिकारी संजय मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपखंड भुसावर के हिंडौन सड़क मार्ग पर बसे गांव सलेमपुर कला की आबादी में होकर निकल रहे सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क पर लोगों द्वारा कच्चे-पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। जिसे हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा आवेदन किया गया जिसके बाद पंचायत ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया और अतिक्रमण हटाने की बात कही। जिस पर कार्य करते हुए अतिक्रमण हटवाने तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, पीडब्ल्यूडी विभाग अधिकारी रामबाबू जाटव एवं थानाधिकारी मदन लाल मीणा मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को पीला पंजा चलाकर हटाया गया।

मंगल कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू

भुसावर, (निसं)। उपखण्ड भुसावर के गॉव घाटरी में मंगल कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। जहां जबलपुर से पधारी कथावाचक पूज्या प्राची देवी जी द्वारा भक्तों को प्रथम दिन भागवत कथा का जीवन में महत्व समझाया। मिली जानकारी के अनुसार गांव घाटरी स्थित श्री अमर लक्ष्मीनारायण मन्दिर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के शुभारंभ पर मंगल कलश यात्रा सरपंच प्रतिनिधि कप्तान सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। कलश यात्रा में सैकडों महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए नये परिधान पहन भाग लिया। कलश यात्रा बैण्ड बाजों के साथ कथा स्थल से शुरू होकर गॉव की परिक्रमा करते हुए पुनः मन्दिर पहुंची जहां जगह जगह भक्तों द्वारा कलश यात्रा का पुष्पवर्षा के साथ जलपान करवाकर स्वागत किया गया। वहीं नगर भ्रमण पर निकले ठाकुर जी की आरती उतारकर मानव कल्याण एवं विश्व शांति के साथ परिवार में सुख समृद्धि को लेकर कामनाएं की। गांव घाटरी में आयोजित की जा रही संगीतमय श्रीमद भागवत कथा के प्रथम दिन कथाव्यास पूज्या प्राची देवी द्वारा भक्तों को जीवन में कथा का महत्व बताया और कहा कि मानव जीवन में सुकर्म करते हुए जरूरतमंदों की सेवा हमें करनी चाहिए। इस अवसर पर सभी का विशेष सहयोग रहा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 9 जून, 2023

आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि शुक्रवार, विक्रम सम्वत 2080, धनिष्ठा नक्षत्र सायं 5.04 तक वैधृति योग दिन 3.46 तक, गरकरण प्रातः 5.40 तक, चन्द्रमा प्रातः 6.02 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति – सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मकर, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरू-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहू-मेष, केतु-तुला राशि में संचार करेगा।

श्रेष्ठ चौघडिया – चर सूर्योदय से 7.09 तक लाभ-अमृत 7.09 से 12.44 तक, शुभ 12.26 से 12.41 तक, सूर्योदय 5.36 सूर्यास्त 7.15 पर।

मेष
आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगाय आय में वृद्धि होगी संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेगें। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कारणों से भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

सिंह
परिवार में शुभ मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियानव्यन होगा। मौज मस्ती का कार्यक्रम बन सकता है।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में मित्रो-रिश्तेदारों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेगें। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

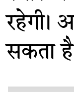

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कुंभ
घर-परिवार में कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। पारिवारिक विवादों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

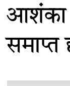

मीन
आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।